



आजादी और आदिवासी

डॉ. अरविंद कुमार गोंड

पुर्व प्राचार्य - राजकीय संस्कृत महाविद्यालय
झॉंसी, इलाहबाद (प्रयागराज), उत्तर प्रदेश

आजादी से पुर्व हम अंग्रेजो के गुलाम थे। अपना राज्य अपना शासन स्थापित करने के लिये आजादी के महानायकों के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम लढा गया। “स्वराज हमारा जन्म सिध्द अधिकार है” हम देश मे राज्य की स्थापना करेंगे। जैसे नारों के साथ महात्मा गॉंधी के नेतृत्व में महात्मा गॉंधी के सपनों का भारत बनाने के लिये पुरे देश की जनता स्वतंत्रता संग्राम मे कुद पडी । इससे हर प्रदेश की आदिवासी जनता ने भी खुब बढ-चढकर हिस्सा लिया और अनेकों आदिवासी विर सपुतोंने अपने प्राणों की आहूती दी। लाखों क्रांतीकारीयों के बलिदान से १५ अगस्त १९४७ ई.स को देश आजाद हुआ। अंग्रेजों के हाथ से निकलकर राज सत्ता हम भारतीयों के हाथ मे आ गयी । पुरे देश में खुशी की लहर दौड गयी की अब हम लोकतंत्र में खुली सांस लेकर गॉंधीजी के सपनों का भारत बना लेंगे ।

किन्तु विचार करने पर लगता है की हम पुरी तरह से आजाद नही हुऐ हैं, केवल सत्ता का हस्तांतरन हुआ है। लोकतंत्र के नाम पर हमे सिर्फ एक वोट देने भर का ही अधिकार मिला है। शेष सब आज भी यथावत है, पुर्ववत है। राजनेताओं

की स्वार्थ लिप्सा, परिवारवाद और शासन सत्ता पर अधिकार ने आम जनता के बिच सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में विषमता की ऐसी गहरी खाई पैदाकर दी है की, आम आदमी टगा सा महसुस कर रहा है। हताश नजरो से हाथ मलता हुआ चुपचाप आवाक देख रहा है। एक के पास सबकछु है तो दुसरो के पास कुछ भी नही है। उनका तिनका-तिनका बिखर गया है और इज्जत आबरू तार-तार हो गयी है। गॉंधीजी के सपनों का भारत सपना ही रह गया है। पुंजीवादी धारा ने लोकतंत्र के तटबंधोको पुरी तरह से बहाकर सामन्ती जल-प्लावन की स्थिती पैदा कर दी है। आदिवासी इलाकों मे स्थिती और भी अधिक भयावह और चिन्ता जनक है । जंगलों मे रहने वाले अशिक्षित, निरक्षर, गरीब आदिवासी सर्वहारा हो गये है।

सदियों से जंगलों मे निवास करनेवाले आदिवासी निराश्रित हो गये है। उनके भूभागों पर खेत - खलिहानों पर, सदी और तालाकें पर बडे-बडे उदयोग लगाने के नाम पर सरकार ने कब्जा कर लिया है। कोयला, लोहा आदि बहुमूल्य खनिज पदार्थों के उत्खनन के नाम पर

आदिवासीयों की जमिनों एवं पहाड़ों से बेदखल कर दिया गया है। अनपढ, गरीब एवं असहाय आदिवासी बार-बार विस्थापित एवं पलायन की मार झेल रहा है। विस्थापित एवं पलायन के बाद उसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और शारिरीक स्थिती और भी अधिक खराब हो जाती है। वन माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया आदि असामाजिक और असंसदीय लोग आदिवासीयों की बची-खुची हालत को और भी अधिक बदतर कर देते हैं। अन्ततः गरीब, अनपढ असहाय आदिवासी रोजी रोटी की तलाश में शहरों की ओर पलायन करता है और अलिनवस्तियों में सडक के किनारे झुग्गी-झोपडी डालकर भीख मांगता है या हाथतोड मेहनत मजदुरी कर अपने बच्चों का पेट पालता है। लोकतन्त्र के नाम पर आदिवासीयों के संबन्ध में जमिनी सच्चाई यही है। सरकारें आदिवासीयों के उत्थान एवं विकास के नाम पर बड़े-बड़े वादें करती हैं, बड़ी योजनाएँ चलाती हैं किंतु आदिवासीयों का सारा हक्क एवं सुविधाएँ स्थानिय राजनेता, कार्यकर्ता, अधिकारी एवं कर्मचारी मिल बॉटकर खा जाते हैं। अनपढ एवं असहाय आदिवासीयों को पता तक नहीं चलता कागजों पर सबकुछ हो जाता है। आदिवासीयों को भले कुछ पता नहो किंतु सरकारों को सबकुछ पता रहता है। फिर भी वह अनजान एवं अन्धी बनकर कान में तेल डाले पडी रहती हैं।

शोषण, उत्पीडन, विस्थापन एवं पलायन की यह प्रक्रिया आजादी के बाद से ही शुरू होगई थी जा आजभी बद-बदस्तूर जारी है। आदिवासी स्थलों में बड़े-बड़े बान्धों की स्थापना, बड़े-बड़े उद्योगों का मकडजाल और खनन, स्थलों की पृष्टिभूमी पर लिखी गई बड़े बड़े विध्वानों, शोधकर्ताओं एवं प्रहरी पलकारों की रिपोर्ट इसके प्रबल प्रमाण हैं, ऐतिहासीक साक्ष्य हैं। इसकी कडवी सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। आदिवासी आज की तारीख में न तो जंगल का रहा न ही शहरों का

हो पाया है। आज तो वह अपने अस्तित्व एवं पहचान को बचाने के लिए जुझ रहा है, रात दिन संघर्ष कर रहा है। और आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें विलुप्त करने की गहरी साजिश रचने में मशगुल है। आदिवासीयों के जल जंगल एवं जमीन पर कब्जा जमायें लोग एवं माफिया अपने प्रभाव से शासन सत्ता एवं मा.न्यायालयों में अनावश्यक एवं उलझाउ वादों का सहारा लेकर आदिवासीयों के अस्तित्व पर नित्य नया संकट पैदा कर दे रहे हैं। अनपढ, गरीब एवं असहाय आदिवासी इनका कोई प्रतिकार नहीं कर पाता चुपचाप सारा अत्याचार सहता रहता है। सरकारें सबकुछ जानते हुवे भी अनजान बनी रहती हैं। उलटें साजिश कर्ताओं का ही साथ देती हैं।

उत्तर प्रदेश में गोंड आदिवासीयों का अस्तित्व मिटाने के लिए कई वर्षोंसे इनका जाती प्रमाण पता ही नहीं बनाया जा रहा है। जिससे इनके बच्चे न तो पढ पाते हैं और न ही सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं। जबकी ब्रिटीश काल में १९२१, १९३१ से की गयी जनगणना के अनुसार पुरे प्रदेश के प्रत्येक जनपद में गोंड जाती की भारी जनसंख्या निवास करती है। यह बात शासन, सत्ता और एस.टी कमिशन को भी अच्छी तरह पता है। फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

मुलतः आजादी के सत्ता का हस्तांतरण होते ही सामन्तवादी शक्तियाँ लोकतांत्रिक वेशभुषा धारण कर छद्मवेश में भारतीय राजनिती में घुस गया और सांसद, विधायक आदि बनकर अपनी जडे मजबुत करने लगी। इनके चलते आम आदमी लोकतांत्रिक मुल्यों से वंचित हो गया और उसकी स्थिती जैसी की तैसी ही रह गयी। लोकतंत्र का सारा सुख राजनेता, सांसद, विधायक लेने लगे।

इस संबंध में अदम गोंडवी की यह पंक्ति ध्यान देने योग्य है।

“काजू-भूनी प्लेट में, व्हिस्की गिलास में,
आया है रामराज, विधायक निवास में।”

आज भारतिय लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति यही है, आज लोकतंत्र मंत्रियों, सांसदों, विधायकों एवं उनके परीजनों तथा रिशेतेदारों तक सिमीत हो गया है। राजनेता के संबंध में पद्मश्री कवी श्री अशोक चक्रधर की यह पंक्ति भी विचारणीय है।

अनेक काराः, बंगला अनेकाः
अनेक सुराः, सुन्दरी अनेकाः।

आज के लोकतंत्र की कडवी सच्चाई को और भी अधिक स्पष्ट करते हुए सुदामा पांडे ‘धुमिल’ ने लिखा है।

“मगर मैं जानता हूँ की मेरे देश का समाजवाद
माल गोदाम में लटकती हुई उन बाल्टियों की तरह
है।

जिस पर आग लिखा है
उसमें बालू और पानी भरा है।”

राजनेताओं के दोहरे चरित्र और लोकतंत्र पर उनकी अठाधीशी पर ‘धुमिल’ ने आगे यह भी जोरदार शब्दों में कहा है।

“एक आदमी
रोटी बेलता है
एक आदमी रोटी खाता है।
एक तिसरा आदमी भी है
जो न रोटी खाता है और न रोटी बेलता है
वह सिर्फ रोटी से खेलता है।
मैं पूँछता हूँ
वह तिसरा आदमी कौन है?
देश की सांसद मौन है। (संसद से सडक तक)

राजनेताओं के इस दोहरे चरित्र ने ही देश में दो तरह की स्थितियों पैदा कर दी है जिसे “ इंडिया बनाम भारत” कहा जाने लगा है। आज तक लोग अंग्रेजों की तरह ‘इंडिया’ में बड़े शान शौकत एवं सुख सुविधा से रह रहे हैं और बहुत सारे लोग गुलामों की तरह ‘भारत’ में रह रहे हैं जिसमें समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े आदिवासी भी हैं।

५ जुलाई १९८८ को ‘विदिशा’ मध्य प्रदेश की एक गोष्ठी में अदम गोंडवी ने यह पंक्ति कह दी थी -

“फटे कपड़ों में तन ढाँके गुजरता हो जहाँ कोई।
समझ लेना वो पगडंडी ‘अदम’ के गोंव जाती है।
”

आगे ‘गोंडवी’ ने यह भी कहा है -

तुम्हारी मेज चाँदी की, तुम्हारे जाम सोने के
यहाँ जुम्न के घर में आज भी फुटी रकाबी है।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, कानून के शासन में आखिर कहीं-कहीं खामी रह गयी है की ‘धनी’ , धनी होता जा रहा है और ‘गरीब’ और भी अधिक गरीब होता जा रहा है।

कई जंगलों, पहाड़ों और नदियों की लहरों पर शासन करने वाले लोग आज बार-बार के विस्थापन, पलायन, उत्पीडन एवं शोषण का शिकार होकर बेरोजगारी, कंगाली एवं भूखमरी से विवश होकर भीख मँगाने के लिए मजबूर हो गये हैं।

उनकी समस्या, उनकी परेशानी, उनके अधिकारों पर ध्यान देनेवाला कोई नहीं रह गया है।

यह सभी जानते हैं की लोकतंत्र में, कानून के राज में न्यायपालिका सबसे मजबूत स्तंभ होती है और सब जगह हारा - थका आदमी अन्ततः विवश होकर न्यायपालिका की शरण लेता है। किन्तु न्याय की प्रक्रिया इतनी जटील, खर्चिली एवं दिर्घकालीक है की अनपढ़, गरीब एवं असहाय्य आदिवासी न्यायालय नहीं जा पाता है। उसमें भी

न्याय की प्रक्रिया निचली अदालत (जिला कचेहरी) से शुरू होकर मा. सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। शोषित पिडीत होने के बाद भी असहाय्य आदिवासी न्याय के लिए जिला कचेहरी भी नहीं जा पाता, सुप्रीम कोर्ट तो उसके लीए कल्पना के बाहर है। कुछ इतने संपन्न, पढे लिखे एवं पहुँचे लोग है की सुप्रीम कोर्ट मे मुकदमा लडना उनके लीए फैशन सा हो गया है।

ऐसे ही लोग आदिवासीयों के कमियों का फायदा उठाकर हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मे फर्जी मुकदमे कायम कर आदिवासीयों द्वारा काई प्रत्युत्तर न देने पर अदालत मे अपने पक्ष मे निर्णय कराकर इन्हे अधिकार विहीन कर देते है और इनका जल, जमिन, जंगल हडप लेते है। आदिवासीयों की इस समस्या कि और सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये और आदिवासी समाज के प्रगत वर्ग को भी इसके लीए आगे आना चाहिये।

पंच सितारा होटलों मे बैठकर आदिवासीयों की समस्याओं पर विचार विमर्श करने लोग इनके संबन्ध में सही निर्णय नहीं ले सकते । यह तो आदिवासीयों के बिच में बैठकर उनकी समस्याओं को देखकर-सुनकर एवं समझकर ही सही निर्णय किया जा सकता है। जिन्होंने उन के बद से बदत्तर होते हालात को नजदीक से देखा नहीं, समझा नहीं वे उनका उद्धार कैसे कर सकते है? इस सम्बन्ध में सुदामा पांडे 'धुमिल' की यह पंक्ति बहुत सार्थक है -

“ लोहे का स्वाद लुहार से मत पुछो
उस घोड़े से पुछो जिसके मुँह में लगाम पड़ी है। ”

पुरे देश मे केवल गोंड आदिवासीयों की जनसंख्या लगभग 99 करोड है। इसके बाद भी ये भयंकर शोषण, उत्पीडन, विस्थापन और पलायन की भयावह पीड़ा का दंश झेल रहे है। यदी संपुर्ण

आदिवासी सम्वर्ग की जनसंख्या मिला दी जाए तो यह ३५-४० करोड से कम नहीं होगी। इतनी बडी आबादी को उनके संवैधानिक एवं मौलिक अधिकारों को प्रदान करते हुऐ विकास की मुख्यधारा में लाना देश की एकता-अखंडता, मजबुती एवं सम्पुर्ण विकास के लिए अत्यावश्यक है। इन्हे वंचित कर हम शक्तिशाली एवं सर्व सम्पन्न भारत की संकल्पना को साकार नहीं कर सकते। हम आदिवासीयों के साथ हो रहे अन्याय एवं अत्याचार की कडवी सच्चाई को बखुबी समझना होगा और उसका सार्थक समाधान निकालना होगा ।

आजादी के ७9 वर्ष बित जाने के बाद भी आदिवासीयों की यह दुर्दशा क्यों हुई? कैसे हुई ? यह एक बडा भारी यक्ष प्रश्न है और आदिवासी समाज वह बार-बार जानना चाहता है।

“ तू इधर-उधर की बात मत कर,
ये बता कारवों क्यों जुटा?
हमें राहजनों से कोई गिला नहीं,
तेरी रहबरी का सवाल है। ”

